बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

सं0–03/मु02–07/2025....................../श्रीमती नीता कुमारी पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षिका, सिंहभूम (झारखंड)–निवर्तमान–उप निदेशक (मा.शि.) बिहार, पटना के विरूद्ध जिला विद्यालय निरीक्षिका, सिंहभूम के पदस्थापन अवधि में सी.बी.आई. जाँच से आच्छादित शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति से संबंधित आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–858 दिनांक 07.09.2009 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से 05 वेतनवृद्धि की रोक का दंड दिया गया।

2. दंड के विरूद्ध श्रीमती पाण्डेय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.–12679/2010 दायर किया गया। सी.डब्ल्यू.जे.सी. 12679/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित आदेश में विभागीय कार्यवाही को सही ढंग से संपादित नहीं किए जाने के कारणों से दण्डादेश एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसमें प्रत्यर्थियों (respondents) को यह स्वतंत्रता दी गयी कि यदि नए सिरे से जांच की आवश्यकता हो तो 6 माह के अंदर इसे संपादित कर लिया जाए।

3. समीक्षा में यह पाया गया है कि एल.पी.ए.सं.–1219/2023 श्रीमती कामिनी कुमारी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पारित आदेश एवं बिहार लिटिगेशन पॉलिसी–2011 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर सी.बी.आई. जाँच से आच्छादित सभी शिक्षिकाओं, जिनकी नियुक्ति अनियमित मानी गई थी, को सेवा में निरन्तर मानते हुए सभी परिणामी लाभ दे दिया गया है। श्रीमती पाण्डेय के वर्ष 2021 में सेवानिवृत हो जाने के पश्चात वर्ष 2006 के आरोपों के लिए विभागीय कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत भी कालबाधित है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती नीता कुमारी पाण्डेय पर उन आरोपों के लिए नए सिरे से विभागीय कार्रवाई किया जाना युक्तिसंगत नहीं पाया गया है।

4. अतएव सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं.–12679/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्रीमती नीता कुमारी पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–858 दिनांक 07.09.2009 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से 05 वेतनवृद्धि की रोक के दंडादेश को निरस्त किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक– 03/मु02–07/2025 1/397140 पटना, दिनांक– 13/04/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि. कोषांग) वित्त विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ श्रीमती नीता कुमारी पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षिका, सिंहभूम (झारखंड)–निवर्तमान–उप निदेशक (मा.शि.) बिहार, पटना, पत्राचार पता– मोहल्ला– द्वारा डॉ. उपेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता, जगदीशपुरी, लेन–4, डाकघर–रमना, थाना–मिठनपुरा, जिला–मुजफ्फपुर, पिन कोड–842002/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 13-04-2026 16:36:46